



संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/060/03/2022
Ref: IRDAI/NL/CIR/MISC/060/03/2022

दिनांक: 31 मार्च 2022
Date: 31st March, 2022

परिपत्र / Circular

प्रति / To,
सभी साधारण बीमाकर्ता / All General Insurers,

विषय: (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों का निर्गम तथा (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर को समाप्त करना

Sub: (a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with physical documents and wet signature on the proposal form

यह उपर्युक्त विषय पर आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ: सं. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/237/09/2020 दिनांक 10 सितंबर 2020 तथा संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/064/03/2021 दिनांक 24 मार्च 2021 और संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/247/09/2021 दिनांक 13 सितंबर 2021 के अनुसार आगे और बढ़ाई गई समय-सीमा के संदर्भ में है।

This has reference to IRDAI circulars Ref: No. IRDA/NL/CIR/MISC/237/09/2020 dated 10th September, 2020 and further extension granted vide Ref:IRDAI/NL/CIR/MISC/ 064/03/2021dated 24th March, 2021 and Ref: IRDAI/NL/CIR/MISC/247/09/2021 dated 13th September,2021 on the above subject.

अब प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भौतिक रूप में प्रस्ताव और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर की समाप्ति के लिए दी गई समय-सीमा आगे और 30.09.2022 तक बढ़ाई जाए।

It has now been decided by the Authority to further extend the dispensation allowed for proposal in physical form and wet signature on the proposal form upto the period 30/09/2022.

तथापि, भौतिक रूप में पालिसी दस्तावेज जारी करने के संबंध में बीमाकर्ताओं को प्रदान की गई छूट वापस ली जाती है। अतः इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के अतिरिक्त, पालिसी दस्तावेज का भौतिक रूप भी जारी किया जाएगा।

However, the exemption granted to insurers in respect of issuing of policy document in the physical form stands withdrawn. Hence, the physical form of policy document shall also be issued in addition to electronic policies.

परिपत्र दिनांक 10 सितंबर 2020 में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

All other contents of the circular dated 10th September,2020 remain unaltered.

हस्ता. / Sd/-
(यज्ञप्रिया भरत / Yegnapriya Bharath)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / Chief General Manager (Non-Life)